डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:
www.dfccil.gov.in

No. 2016/HQ/ADMIN/RTI-289

New Delhi Date: 20-12-2016

M/s Jaswant Sugar Mills,
Regd. Off.-Baghpat Road,
Kothi No.-4, Mill Compound,
Meerut(U.P.)-250002
Ph.:-0121-2649303

ED508572144IN

Dear Applicant,

Sub: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना सुलभ कराना।
Providing information under the RTI Act 2005

Ref: Your original application 08.10.2016.

The Information from the concerned office is as hereunder:

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्वी डेडीकेटिड फ्रेट कॉरीडॉर के लिए पूर्व में प्रत्यावेदक की प्रभावित भूमि का अभिनिर्णय रेल संशोधन अधिनियम–2008 की धारा 20 ई की अधिसूचना के भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 01.04.2011 से 01 वर्ष की अवधि में सक्षम प्राधिकारी मेरठ द्वारा कतिपय कारणो से नहीं किया गया, बल्कि धारा 20 एफ०(2) में दिये गये प्राविधान के अनुसार 02 माह की विस्तारित अवधि में विलम्ब से किया गया लेकिन उक्त प्राविधान के अनुसार विलम्ब की विस्तारित अवधि के लिए अतिरिक्त प्रतिकर का निर्धारण अभिनिर्णय में नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय में केवल यह उल्लेख किया गया है कि–अभिनिर्णय में हुये विलम्ब के लिये प्रभावित व्यक्तियों को धारा 20 ई के अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से अतिरिक्त प्रतिकर देय होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अभिनिर्णय का यह अंश विधि विरूद्ध होने के कारण, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के हितों को दृष्टिगत रखते हुये, अर्बीट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष मध्यस्थता वाद संख्या 44/2013 योजित किया गया है, जिससे प्रत्यावेदक पूर्णतः अवगत है तथा अर्बीट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख चुका है। वाद का निस्तारण अर्बीट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ महोदय के द्वारा किया जाना अपेक्षित है। प्रत्यावेदक के द्वारा मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रि॰ याचिका संख्या–24006 योजित की गयी जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 31.05.2016 के द्वारा सक्षम अधिकारी को निदश दिये कि 01 माह के अन्तर्गत अभिनिर्णय घोषित करके याची को प्रतिकर का भुगतान किया जाये। मा० उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2016 को परिसम्पत्तियों के प्रतिकर का पूरक अभिनिर्णय घोषित किया गया तथा प्रत्यावेदक (याची) को धनराशि रूपये 2,17,94988/– का भुगतान किया जा चुका है। प्रत्यावेदक द्वारा परिसम्पत्तियों की अभिनिर्णय में विलम्ब की अवधि 03 वर्ष व 06 माह के लिए अतिरिक्त प्रतिकर की मांग की जा रही है, जिसका कोई प्राविधान रेल संशोधन अधिनियम–2008 में नहीं है। प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों पर बिन्दुवार टिप्पणी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. इस बिन्दु में दिये गये तथ्यों के सम्बन्ध में स्थिति उपरोक्त प्रस्तर में स्पष्ट की जा चुकी है।
2. रेल संशोधन अधिनियम–2008 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी ही अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का प्रतिकर निर्धारित कर, अभिनिर्णय किये जाने हेतु प्राधिकृत है तथा अभिनिर्णय में हुये विलम्ब की विस्तारित अवधि के लिये अतिरिक्त प्रतिकर निर्धारित करने के लिये भी सक्षम प्राधिकारी ही अधिकृत है। यह उल्लेखनीय है कि परिसम्पत्तियों के प्रतिकर के निर्धारण में हुये विलम्ब के लिये रेल संशोधन अधिनियम–2008 के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
3. प्रस्तर का प्रथम अंश सक्षम प्राधिकारी कार्यालय से सम्बन्धित है, इस लिये इस पर कोई टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं हैं। जहां तक डी०एफ०सी०सी०आई०एल० कार्यालय द्वारा दूर्भावना स्वरूप कोई कार्यवाही न किये जाने सम्बन्धी प्रत्यावेदक का कथन पूर्णतः निराधार व साक्ष्यहीन है। आपने कथन के समर्थन में प्रत्यावेदक द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रत्यावेदक का यह कथन निराधार है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने अभिनिर्णय दिनांक 28.05.2012 में विलम्ब की विस्तारित अवधि के स्थान पर, धारा 20 ई की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से अतिरिक्त प्रतिकर दिये जाने का उल्लेख किया गया है जो रेल संशोधन अधिनियम–2008 की धारा 20 एफ (2) में दिये गये प्राविधान के विरूद्ध होने के कारण अर्बीट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के समक्ष मध्यस्थता वाद प्रस्तुत किया जाना विधिक दृष्टि में आवश्यक होने के कारण, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के हितो को दृष्टिगत करते हुये, वाद संख्या 44/2013 योजित किया गया है।
6. इस प्रस्तर में दिये गये तथ्य न्यायालय अर्बीट्रेटर/आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की कार्यवाही से सम्बन्धित है जिस पर न्यायालय से बाहर कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्यावेदक के द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे न्यायालय की गरिमा को भी आघात पहुंचता है।
7. अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन प्राप्त होने के पश्चात, अभिनिर्णय घोषित किये जाने का दायित्व सक्षम प्राधिकारी का है तथा अभिनिर्णय घोषित किये जाने में अर्जन निकाय की कोई भूमिका नहीं होती है। डी०एफ०सी०सी०आई०एल० के द्वारा अभिनिर्णय घोषित कराये जाने हेतु यथासम्भव प्रयास किये गये तथा इसके लिये सक्षम प्राधिकारी से अभिनिर्णय घोषित किये जाने हेतु मौखिक रूप से कई बार प्रार्थना की गयी तथा लिखित रूप से भी अवगत कराया गया कि संयुक्त खाते में पर्याप्त राशि उपलब्ध है, इस लिये वह अधिग्रहीत भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के प्रतिकर हेतु अभिनिर्णय घोषित कर सकते है।

प्रस्तर के शेष अंश का सम्बन्ध सक्षम प्राधिकारी कार्यालय से है जिसमें इस कार्यालय से टिप्पणी किया जाना सम्भव नहीं है।

8. इस प्रस्तर में दिये गये तथ्य निराधार बलहीन व साक्ष्यहीन है प्रत्यावेदक द्वारा मात्र प्रार्थना पत्र बल प्रदान करने के उद्देश्य से अनावश्यक तथ्यों को उल्लेख किया गया है।
9. प्रत्यावेदक का कथन स्वीकार्य नहीं है। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ग्राम मलियाना तहसील सदर मेरठ की परियोजना से प्रभावित भूमि के प्रतिकर हेतु घोषित मूल अभिनिर्णय दिनांक 29.03.2012 के क्रम में प्रत्यावेदक की अधिग्रहीत की गयी भूमि का अलग से पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.05.2012 घोषित किया क्योकि इस भूमि के सम्बन्ध में सिलिंग भूमि की जॉच चल रही थी जैसा कि सक्षम अधिकारी ने ग्राम मलियाना के अभिनिर्णय दिनांक 29.03.2012 व पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.05.2012 में उल्लेख किया गया है। मूल अभिनिर्णय दिनांक 29.03.2012 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि अर्जित क्षेत्र में विद्यमान निजि परिसम्पत्तियों को अभिनिर्णय संबंधित विभागों से मूल्यांकन प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से घोषित किया जायेगा।

   उपरोक्त के क्रम में प्रत्यावेदक की अधिग्रहीत की गयी भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों के प्रतिकर हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पृथक रूप से पूरक अभिनिर्णय घोषित किया गया है। इस प्रकार अभिनिर्णय दिनांक 14.06.2016 पूर्व में घोषित मूल अभिनिर्णय दिनांक 29.03.2012 व पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.05.2012 के क्रम में किया गया है इसलिये पूरक अभिनिर्णय दिनांक 14.06.2016 पर भूमि अर्जन अधिनियम–2013 प्राविधान प्रभावी नहीं होते है।
10. प्रत्यावेदक द्वारा इस प्रस्तर में भी अनावश्यक, आधारहीन व अर्नगल तथ्यों का उल्लेख किया गया है तथा प्रत्यावेदक की कल्पना पर आधारित है। प्रत्यावेदक के द्वारा जब भी कोई सूचना चाही गयी है नियमानुसार उसको उपलब्ध करायी गयी अथवा प्रत्यावेदक को कारणों सहित उत्तर दिया गया है।
11. प्रत्यावेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2016 अन्तर्गत जनसूचना अधिकार–2005 में वांछित सूचना का कोई स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया, इसलिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.08.2016 के द्वारा प्रत्यावेदक को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा पत्र संख्या– दिनांक आदि का विवरण कराने हेतु लिखा गया ताकि चाही गयी सूचना उपलब्ध करायी जा सके, लेकिन प्रत्यावेदक द्वारा आज तक कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।
12. प्रस्तर–12 मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित एस०एल०पी० से सम्बन्धित है जिसका मा० सर्वोच्च न्यायालय में डी०एफ०सी०सी०आई०एल० की ओर से समुचित उत्तर/पक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस स्तर पर टिप्पणी की जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
13. सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6(1) के अनुसार प्रार्थी को चाही गयी सूचना का स्पष्ट विवरण अपने प्रार्थना पत्र में किया जाना आवश्यक है, किन्तु बार–बार अवगत कराये जाने पर भी प्रत्यावेदक द्वारा प्रकरण को उलझाये जाने के उद्देश्य से स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।
14. प्रस्तर में प्रत्यावेदक द्वारा किये गये कथन अर्नगल व अनावश्यक तथ्यों पर आधारित है जिसका कोई साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया हैं और न ही उल्लेख किया गया है अतः इस पर टिप्पणी किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार तथ्यों पर आधारित है। अतः अनुरोध है कि कृपया समस्त तथ्यों पर विचार करते हुये प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही किया जाना आपेक्षित नहीं है।

अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाप्रबंधक/प्रशासन, डी एफ सी सी आई एल, नई दिल्ली–110001.

copy/copies for information to:

JGM/HR-II,

20/12/16

(तेजपाल चावला)
(Tejpal Chawla)
प्रबंधक/प्रशासन/डार टी डई